(राजस्थान सरकार)

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला कोटपूतली–बहरोड

पीठासीन अधिकारी : कल्पना अग्रवाल (I.A.S)
इंतकाल अपील : 08/2023 (16/22/2021)
तारीख रजू : 14.09.2023 (13.12.2021)

उनवान :

1. तहसीलदार बानसूर तहसील बानसूर जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

1. किशनलाल पुत्र मामराज मीणा जाति मीणा निवासी बिसालवा तहसील बानसूर जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।
2. प्रेम पत्नि रामवतार मीणा जाति मीणा निवासी बिसालवा तहसील बानसूर जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0। (फौत)

2/1 प्रकाश पुत्र रामावतार जाति मीणा निवासी बिसालवा तहसील बानसूर जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

2/2 मनोज पुत्र रामावतार जाति मीणा निवासी बिसालवा तहसील बानसूर जिला अलवर नया जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0।

– अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

निर्णय दिनांक : 14.06.2024

राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 के अनुसार दिनाक 07.08.2023 से नवजिला कोटपूतली–बहरोड का सृजन किये जाने से उक्त अनुवानी पत्रावली न्यायायल अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितिय) अलवर से स्थानान्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त होने पर पत्रावली को दिनांक 14.09.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान को जरिये नोटिस तलब किये गये।

1. तहसीलदार बानसूर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है कि ग्राम बिसालवा तहसील बानसूर जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड़ के आराजी खसरा न0 598 रकबा 1.73 है0 किस्म गैर मु0 नला में से नामांतकरण संख्या 588 दिनांक 17.07.2004 के द्वारा खसरा न0 598 रकबा 0.01 हैक्ट. गैर मु0 चाह किशनलाल पुत्र मामराज व प्रेम देवी पत्नि रामवतार जाति मीणा साकिन देह गैर खातेदारी के रूप में दर्ज हो स्वीकार होने से प्रकरण आवंटन के पूर्व संवत 2021 की मिसल में खसरा न0 598 किस्म गैर मु0 नला दर्ज होने से प्रकरण अबदुल रहमान के अन्तर्गत आने से प्रकरण आवंटन निरस्त कर भूमि पुनः गैर मु0 नला सिवायचक दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत पेश किया है।
2. अप्रार्थीगण बाद विधिवत् तलबी उपस्थित नहीं आये तथा पूर्व में भी प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी ना तो जवाब प्रस्तुत किया ना ही बहस हेतु उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी प्रेम देवी फौत होने पर उनके विधिक वारिसान को सुनवाई का उचित अवसर दिया गया लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया तथा नही प्रकरण में उपस्थित आयें।
3. पैरोकार सरकार नायब तहसीलदार उपस्थित आये। पैरोकार सरकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई। राजकीय पैरोकार ने अपनी बहस के दौरान प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अभिकथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 938 रकबा 0.01 हैक्ट. गैर मुमकिन चाह आवंटन से पूर्व सम्वत 2021 की मिसल में खसरा नम्बर 598 रकबा 1.73 हैक्ट. किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज है इस आधार पर प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रभावित है। प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रमाणित होने से आवंटी को खातेदार अधिकार देना अनुचित है इस कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को किया गया आवंटन निरस्त कर पुनः गैर मुमकिन नला दर्ज करने के आदेश फरमावें जावें।

जिला कलक्टर
कोटपूतली–बहरोड

4. पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड साक्ष्य सबुतो का अवलोकन किया तथा पैरोकार द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तो पाया कि प्रार्थी तहसीलदार बानसूर द्वारा आवंटी के विरूद्ध रेफरेन्स प्रकरण अन्तर्गत धारा 14 (4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970 के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर आवंटन को निरस्त कर पुनः पूर्व स्थिति अनुसार गैर मुमकिन नला दर्ज करने के लिए निवेदन किया है। पत्रावली के अवलोकन से मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2060 में खसरा नम्बर में 598 मिन से हाल खसरा नम्बर 738 रकबा 0.01 हैक्ट. से बना है। मौका पर्चा दिनांक 24.07.2020 के मुताबिक खसरा नम्बर 738 गैर मुमकिन चाह वाके ग्राम बिसालवा में दर्ज रिकार्ड है। जमाबंदी सम्वत 2057 में खसरा नम्बर 598 जिस पर नामान्तकरण संख्या 588 का नोट अंकित है जिस पर गैर खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। सम्वत 2060 की जमाबंदी में भी अप्रार्थीगण को गैर खातेदारी स्वीकार होना पाई गई। राजस्व रिकार्ड में तहसीलदार बानसूर की रिपोर्ट अनुसार आवंटी को आवंटन से पूर्व खसरा नम्बर 598 रकबा 1.73 हैक्ट. सम्वत 2021 मिसल गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड है। गैर मुमकिन नला दर्ज होते हुए अप्रार्थीगण को नामान्तकरण संख्या 588 से खसरा नम्बर 598/1 रकबा 0.01 गैर मुमकिन चारागाह की गैर खातेदारी स्वीकार दर्ज है। चूंकि आराजी खसरा नम्बर 598 रकबा 1.73 हैक्ट. किस्म गैर मुमकिन नला आवंटन से पूर्व ही राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है तो जो धारा 16 एलआरएक्ट का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसी स्थिति में गैर मुमकिन नला की भूमि को आवंटन किया जाना वर्जित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाकर आवंटी का आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

5. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी तहसीलदार बानसूर जिला कोटपूतली बहरोड़ द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) आवंटन नियम 1970 स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण के हक में हुआ आवंटन नामान्तकरण संख्या 588 दिनांक 17.07.2004 को खारिज किया जाकर भूमि पुनः गैर मुमकिन नला दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बानसूर को पालनार्थ भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील लेख भण्डार हो।

6. निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पना अग्रवाल)
आई.ए.एस.
जिला कलेक्टर
कोटपूतली–बहरोड़ (राज.)

जिला कलेक्टर
कोटपूतली बहरोड़